(ग) तथा (घ) कृषि मंत्रालय में सरकार का कपास विकास के लिये प्रोद्योगिकी मिशन स्थापित करने का विचार है ताकि कपास की कम उत्पादकता की समस्या का तथा संबंधित मामलों जैसे कपास उपजाने वाले राज्यों में विपणन, जिनिंग तथा प्रैसिंग आदि में समन्वित तथा केन्द्रीकृत ढंग से समस्याओं का सामधान किया जा सके। मिशन का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

मूल्य योजित वस्तुओं के अधिकतम निर्यात हेतु प्रोत्साहन

1691. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों से देश में कपड़ा उद्योग से निर्यात की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कितने मूल्य की कपास, सूत, कपड़े और सिले-सिलाए वस्त्रों का अलग-अलग निर्यात किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये मूल्य योजित वस्तुओं के अधिकतम निर्यात हेतु कतिपय प्रोत्साहन देने की योजना लागू की है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) मात्रा के रूप में समग्र वस्त्र निर्यात में वृद्धि दर्ज होती रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सूती कपड़े (यार्न फेब्रिक्स तथा मेड अप्स) तथा परिधान का निर्यात निम्नानुसार रहा है:—

यू एस मिलियन डालर में मूल्य

	1994-95	1995-96	1996-97
कॉटन	26.71	432.90	225.11
कपड़ा	4037.45	4512.50	5288.23
तैयार परिधान	4433.83	4453.31	4762.10

(ग) और (घ) सरकार ने कुछ बुनाई की मशीनों प्रसंस्करण तथा वस्त्र बनाने की वस्तुओं पर रियायती आयात शुल्क की सुविधा प्रदान की है ताकि अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वृद्धित वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा वस्त्र और परिधानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये अनेक उपाय किये जा रहे हैं, जिनमें शामिल है:—क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी के लिये निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना, निर्यात उत्पादन के लिये शुल्क मुक्त कच्चे माल के आयात का विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना इत्यादि।

Setting up of All India Powerloom Board/ Corporation

1692. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up an All India Powerloom Board/ Corporation;

(b) if so,the details thereof particularly its composition and terms of reference; and

(c) by when it is likely to be set up?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R. L. JAJAPPA): (a) to (c) The Government have already reconstituted the All India Powerloom Board vide Resolution No. 1/12/96-W&P dated 21st April, 1997 for a period of two years. The Board will advise the Government generally on matters concerning the healthy development of powerlooms within the power operated weaving sector, including measures to be taken to achieve better productivity, increased efficiency, improve welfare of workers and locational dispersal of powerlooms. The composition of the Board is as under:—

CHAIRMAN

1. Minister of Textiles, Government of India, New Delhi.

VICE CHAIRMAN

2. Secretary, Ministry of Textiles, Government of India.